बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ

अरण्य विहार, सिपाह, (पटना–राँची रोड वाईपास) थाना–दीपनगर, बिहारशरीफ–803216
Email ID: dfonalandafdivision@gmail.com Mob:7856875979 Tel: 06112-297121

पत्रांक 4213 निविदा दिनांक 16 / 12 / 2024

प्रेषक,

राज कुमार एम०, भा०व०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव–निर्मित इंटीग्रेटेड भवन के पास अवस्थित वाहन पार्किंग जोन की बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन निविदा सं० 18/2024–25 की सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव–निर्मित इंटीग्रेटेड के पास अवस्थित वाहन पार्किंग जोन की बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन निविदा (निविदा संख्या 18/2024–25) आमंत्रित की गयी है। उक्त निविदा की सूचना की एक प्रति इस पत्र के साथ (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

ज्ञापांक ..../प्र०लि०, दिनांक ..../........./2024

प्रतिलिपि : सरकार के उप सचिव, बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना–15 को सूचना प्रकाशन सामग्री की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना की सेवा में अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

ज्ञापांक 4213 / प्र०लि०, दिनांक 16 / 12 / 2024

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना–15 को सूचना प्रकाशन सामग्री की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, नालन्दा

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या– 18/2024–25

1.	विभाग का नाम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2.	विज्ञापन दाता का नाम पता	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।
3.	परिमाण बिक्री के आरंभ की तिथि	18.12.2024 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से
4.	परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 06.01.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक कार्य अवधि में।
5.	निविदा प्राप्ति की तिथि एव समय	07.01.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे
6.	निविदा खोलने की तिथि एव समय	07.01.2025 को अपराह्न 03.30 बजे

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्रान्तर्गत अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए राजगीर रोप–वे के पास नव–निर्मित पार्किंग जोन की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 18.12.2024 से निविदा आमंत्रित की जाती है :

क्र० सं०	निविदा का विवरण	अग्रधन की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्रान्तर्गत अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए राजगीर रोप–वे के पास नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन की बन्दोबस्ती हेतु। (क्षेत्रफलः–2.31 हे0)	रु. 3,00,000/–	रु. 2,000/–

राजगीर प्रक्षेत्रान्तर्गत अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए राजगीर रोप–वे के पास नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन की बन्दोबस्ती हेतु संचालकों से सील बन्द निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक 07.01.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। वाहन पार्किंग जोन में लगभग कुल बस–37, कार–315, ई–रिक्शा–129 एवं दो पहिया वाहन–86 की पार्किंग क्षमता है। निविदाओं के लिये दिनांक–06.01.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में या विभागीय बेवसाईट *https://state.bihar.gov.in/forest* के माध्यम से रु० **2000/– (दो हजार रूपये)** मात्र का भुगतान कर विहित प्रपत्र (निविदा फार्म) प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ अग्रधन के रूप में पार्किंग जोन की बन्दोबस्ती हेतु रुपये **3,00,000/–** का बैंक ड्राफ्ट, तथा विभागीय बेवसाईट से निविदा फार्म प्राप्त करने के परिस्थिति में **2000/– (दो हजार रूपये)** का बैंक ड्राफ्ट Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif /वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद कर समर्पित करना होगा। सफल निविदादाता का चयन अधिकतम वार्षिक अर्पित दर के आधार पर किया जायेगा एवं सफल निविदादाता को वाहन पार्किंग जोन की

बन्दोबस्ती एक वर्ष के लिए की जायेगी। चयनित निविदाता को प्रथम छमाही का अग्रिम किराया राशि के रूप में निविदा में सफल होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना होगा, तथा दूसरी छमाही का अग्रिम किराया राशि पॉचवे महीने में जमा कराना होगा।

अधिक जानकारी प्राप्त करने या निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय से अथवा https://state.bihar.gov.in/forest/CitizenHome.html एवं https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html पर देखा जा सकता है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, नालन्दा

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–18/2024–25

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के राजगीर वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप–वे के निकट नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन की बंदोवस्ती हेतु निर्धारित निविदा की शर्तें :

1. पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप–वे के निकट नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन की बंदोवस्ती हेतु दिनांक 07.01.2025 के 11:00 बजे पूर्वाहन तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय में मुहरबंद एवं सीलबन्द निविदा विहित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है।

2. निविदादाता 'तकनीकी निविदा/बिड' (प्रपत्र 'क') तथा 'वित्तीय निविदा/बिड' (प्रपत्र 'ख') दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेगें। तकनीकी निविदा के लिफाफे पर ''तकनीकी निविदा'' तथा उस पर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 18/2024–25 अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय निविदा' के लिफाफे पर ''वित्तीय निविदा'' लिखकर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 18/2024–25 अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के दोनों सील बंद लिफाफे रहेंगे, पर ''वाहन पार्किंग की बंदोवस्ती के लिए निविदा'' एवं निविदा का विज्ञापन संख्या अंकित करेंगे। तकनीकी निविदा में तकनीकी निविदा फार्म, निविदा शर्त्तों के अनुपालन हेतु वांछित स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज, निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद, तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे तथा अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे।

3. निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं के 'तकनीकी एवं वित्तीय निविदा' दिनांक 07.01.2025 को 03:30 बजे अपराह्न में निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के प्रमण्डलीय कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोला जायेगा। यदि कोई निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा। केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का हीं, वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

4. निविदा का प्रपत्र एवं शर्तों की प्रति नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय से रूपये 2000/– (रूपये दो हजार) प्रति की दर से दिनांक 18.12.2024 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 06.01.2025 के अपराह्न 05.00 बजे तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) होगा। नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन क्षेत्र की विशेष जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा विभागीय वेवसाईट https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html पर भी देखा जा सकता है।

5. यह निविदा, नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन, आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

6. निविदादाता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ निविदा–प्रपत्र क्रय से संबधित मनी रसीद की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे एवं वेवसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने

की स्थिति में निविदा–प्रपत्र की राशि रू० 2000/– (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम में होगा, को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

7. निविदादाता को तकनीकी निविदा (प्रपत्र 'क') के साथ **अग्रधन** के रूप में नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन की बंदोवस्ती हेतु रूपये 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो (Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif)/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के प्राप्त होने वाले तकनीकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

8. निविदादाता को तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ अपने पैन कार्ड का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना है। यदि किसी फर्म के नाम से निविदा समर्पित किया जाता है तो निविदा समर्पित करने के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र (मूल रूप में) तथा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फर्म के पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। (मूल प्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।

9. निविदादाता, तकनीकी निविदा (प्रपत्र 'क') के साथ फर्म के नाम से वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के आयकर रिटर्न (Financial year 2022-23 & 2023-24) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे तथा उसपर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भी अभिप्रमाणित किया गया हो संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

10. निविदादाता, तकनीकी निविदा/बिड (प्रपत्र 'क') के साथ जी०एस०टी० निबंधित होना अनिवार्य है। निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन एक वर्ष (चार तिमाही) की अद्यतन रिटर्न की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। फर्म के नाम पर भरे गए निविदा के लिए फर्म का जी०एस०टी० निबंधन की छायाप्रति जो प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित हो, संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

11. निविदादाता, तकनीकी निविदा/बिड (प्रपत्र 'क') के साथ किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का अभिप्रमाणित परिसम्पति (Capital asset) जो न्यूनतम रू० 50.00 लाख का हो, की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

12. निविदादाता, तकनीकी निविदा/बिड (प्रपत्र 'क') के साथ किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का अभिप्रमाणित वार्षिक टर्न ओवर (Annual tournover) जो न्यूनतम रू० एक करोड़ का हो, की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

13. निविदादाता को अपने निविदा के साथ बिहार सरकार अन्तर्गत किसी सरकारी विभाग में कम से कम तीन वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष कम से कम 40 लाख रूपये का कार्य किया गया हो।

14. निविदादाता, तकनीकी निविदा/बिड (प्रपत्र 'क') के साथ पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी बिड खाले ने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

15. निविदादाता, तकनीकी निविदा/बिड (प्रपत्र 'क') के साथ किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित अपना हस्ताक्षर का नमूना मूलरूप में समर्पित करेंगे।

16. निविदादाता, तकनीकी निविदा/बिड (प्रपत्र 'क') के साथ नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ–पत्र जमा करेंगे, जिसमें निविदादाता इस बात की घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची (कृष्णचिन्हित) में दर्ज नहीं किया गया है।

17. निविदादाता, तकनीकी निविदा/बिड (प्रपत्र 'क') के साथ नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ–पत्र जमा करेंगे, जिसमें निविदादाता इस बात की घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित किया गया कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

18. वाहन पार्किंग के उपयोग हेतु पार्किंग टिकटों का दर निम्नवत् निविदादाता द्वारा निर्धारित की जायेगी :

वाहन का प्रकार	दर (4 घंटे के लिए)	अभियुक्ति
दो पाहिया वाहन	रू० 20/–	वाहन पार्किंग दर को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा के आदेशानुसार/अनुमति प्राप्त कर बदलाव किया जा सकेगा।
तीन पहिया वाहन	रू० 30/–	
कार/जीप	रू० 50/–	
मिनी बस एवं अन्य छोटे वाहन	रू० 80/–	
भारी वाहन (बस/ट्रैक्टर)	रू० 120/–	

19. संचालक द्वारा वन विभाग एवं पर्यटन विभाग के कार्मचारियों के वाहन पार्किंग हेतु किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। उन्हें निःशुल्क वाहन पार्किंग हेतु पास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

20. इंटीग्रेटेड भवन के अन्तर्गत कैफेटेरिया, फडकोट एवं दुकानों का संचालनक/कर्मी हेतु 50 प्रतिशत छुट के साथ मासिक पास का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।

वाहन का प्रकार	मासिक पास हेतु निर्धारित दर	अभियुक्ति
दो पाहिया वाहन	रू० 280/–	वाहन पार्किंग मासिक पास दर में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा के आदेशानुसार/अनुमति प्राप्त कर बदलाव किया जा सकेगा।
तीन पहिया वाहन	रू० 420/–	
कार/जीप	रू० 700/–	
मिनी बस एवं अन्य छोटे वाहन	रू० 1120/–	
भारी वाहन (बस/ट्रैक्टर)	रू० 1680/–	

21. संचालक, वनो के क्षत्रे पदाधिकारी, राजगीर वन प्रक्षेत्र द्वारा सत्यापित टिकट का ही उपयोग वाहन पार्किंग जोन में करेंगे। इसके लिए संचालक टिकट छपवा कर वनो के क्षत्रे पदाधिकारी, राजगीर वन प्रक्षेत्र से सत्यापित करायेंगे। बिना सत्यापन के टिकट का उपयोग किए जाने पर संचालक दंड के भागी होंगे, जिसमें निविदा का रद्द किया जाना भी शामिल है। उपयोग किए गए टिकट के अद्यकट्टी को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर के कार्यालय में जमा करेंगे। कम्प्यूटराईज टिकट होने की स्थिति में टिकटों से संबंधित प्रतिवेदन कम्प्यूटर में संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसे समय–समय पर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जायेगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

(क) निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा/बिड (प्रपत्र 'क') के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजातः–

1. निविदा प्रपत्र क्रय से संबंधित मनी रसीद की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। बेवसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा–प्रपत्र की राशि रू० 2000/– का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम का डिमाडं ड्राफ्ट ।
2. अग्रधन की राशि (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम से निर्गत रूपये 3,00,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो बिहारशरीफ में भुगतेय हो)।
3. पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
4. वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के आयकर रिटर्न (Financial year 2022-23 & 2023-24) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
5. जी०एस०टी० निबंधन का स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।
6. न्यूनतम 50 लाख का परिसम्पति (Capital asset) होने का प्रमाण–पत्र (किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा निर्गत) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
7. न्यूनतम 01 करोड़ वार्षिक टर्नओवर (Annual Turnover) होने का प्रमाण–पत्र (किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा निर्गत) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
8. निविदादाता को अपने निविदा के साथ सरकारी विभाग में किये गये कार्य का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र/(work order) संलग्न करना होगा।
9. पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।
10. राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदादाता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर का नमूना (मूल रूप में)।
11. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान द्वारा निविदादाता/फर्म के नाम को कालीसूची में दर्ज नही किये जाने से संबंधित शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत)।
12. निविदादाता द्वारा निविदा में समर्पित की गयी सभी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है, से संबंधित शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत)।

13. इंटीग्रेटेड भवन एवं रोप–वे के निकट अवस्थित वाहन पार्किंग जोन राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में अवस्थित है। अतएव वाहन पार्किंग जोन संचालक, उनके अधिनस्थ काम करने वाले कर्मियों के लिए विभाग से अनुमोदित वर्दी के साथ रखना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित कर्मियों के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर से वन्यप्राणी आश्रयणी में प्रवेश से संबंधित पहचान–पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना पहचान–पत्र एवं वर्दी के वन्यप्राणी आश्रयणी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। साथ हीं साथ वाहन पार्किंग जोन संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिनस्थ कर्मी वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में वाहन पार्किंग जोन के अलावे यत्र–तत्र नहीं जायेगें।

14. वाहन पार्किंग जोन में किसी प्रकार का शोर–शराबा, हल्ला गुल्ला एवं संगीत प्रतिबंधित रहेगा तथा वाहन पार्किंग जोन परिसर में धुम्रपान एवं प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

15. निविदादाता/संचालक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन एवं लापरवाही बरतने पर प्रत्येक उल्लंघन/लापरवाही पर **दस हजार रूपये का अर्थदण्ड** लगाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी को होगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, नालन्दा

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–18 / 2024–25

(ख) वित्तीय निविदा / बिड

निविदादाता द्वारा नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन की बंदोवस्ती हेतु क्रय किए गए निविदा प्रपत्र 'ख' पर ही नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन की बंदोवस्ती का दर (साफ–साफ अक्षरों में अंक एवं शब्दों में तथा पूरे वर्ष के लिए) अंकित करेंगे।

(ग) अन्य शर्तेः–

1. यदि दो या अधिक निविदादाता के द्वारा एक ही दर अर्पित किया जाता है तो निविदा का निर्णय निलामी की प्रक्रिया के अधीन बोली लगाकर (अधिकतम बोली के आधार पर) किया जायेगा।

2. निविदा खोलने अथवा उसके बाद कभी भी यदि यह पाया जाता है कि निविदादाता द्वारा निविदा के साथ समर्पित की गयी कोई भी कागजात / अभिलेख असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। सफल निविदादाता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है तथा एकरारनामा को रद्द करते हुए उनके अग्रधन एवं जमानत की राशि को राज्यसात कर कृष्णचिन्हित किया जा सकता है।

3. सफल निविदादाता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा। एकरारनामा के लिए सफल निविदादाता को रू० 1000 / – का नन्–जुडिशियल स्टाम्प नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही सफल निविदादाता को निविदा अवधि (एक वर्ष) की बन्दोबस्ती की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) दूसरे दिन डी0डी0 के माध्यम से वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ, के पदनाम से जमा करनी होगी। जमा नहीं करने के स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता से Negotiate किया जायेगा। बन्दोबस्ती की शेष आधी राशि निविदा के पाँचवें माह तक डी0डी0 के माध्यम से संचालक को जमा कराना होगा। जमा नहीं किये जाने के स्थिति में बन्दोबस्तधारक का बन्दोबस्ती रद्द कर दिया जायेगा।

4. **जमानत / प्रतिभूति जमा राशि** :– सफल निविदादाता को प्रतिभूति / जमानत की राशि के रूप में पार्किंग हेतु चयनित अधिकम दर का 10 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डी.सी.आर. / एफ.डी.आर / बैंक गारण्टी वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के पदनाम से Pledged कराकर जमा करना होगा।

5. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने एवं अग्रिम राशि जमा करने के उपरान्त हीं सफल निविदादाता को नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि सफल निविदादाता एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने एवं अग्रिम राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा सत्यांकार (अग्रधन) की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

6. यदि सफल निविदादाता द्वारा वित्तीय शर्त्त की कंडिका–3 का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता के सत्यंकार राशि (अग्रधन) को राज्यसात करते हुए, कृष्णचिन्हित किया जा सकता है।

7. सफल निविदादाता (वाहन पार्किंग जोन संचालन) निर्धारित अवधि (एक वर्ष) के बीच वाहन पार्किंग जोन का संचालन करना अनिवार्य होगा। यदि वे संचालन से इंकार करते हैं तो उनके द्वारा जमा राशि (अग्रधन एवं जमानत की राशि) राज्यसात कर दी जाएगी।

8. सरकार को देय सभी तरह के वैधानिक करों यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि / देयताओं का भुगतान सफल निविदादाता (वाहन पार्किंग जोन संचालन) को अलग से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी वाहन पार्किंग जोन संचालक की होगी।

9. समय पर अग्रिम राशि का भुगतान नहीं करने पर वाहन पार्किंग जोन संचालक द्वारा जमा जमानत राशि को राज्यसात करने तथा निविदा रद्द करने का पूरा अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ को सुरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन पार्किंग जोन संचालक के विरूद्ध कोई राशि बकाया रह जाता है तो नीलाम–पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

10. वाहन पार्किंग जोन संचालक को, पार्किंग जाने साफ–सुथरा रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना के भागी होंगे एवं इसके संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ द्वारा लिया गया निर्णय, अन्तिम निर्णय होगा जिसे संचालक को मान्य होगा।

11. वाहन पार्किंग जोन के अन्दर अवस्थित शौचालय को साफ–सुथरा रखने की जिम्मेवारी वाहन पार्किंग जोन संचालक की होगी, जिसका निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर किया जाएगा। शौचालय गंदा पाये जाने पर संचालक दंड के भागी होंगे।

12. वाहन पार्किंग जोन संचालक को यह अधिकार होगा कि उपर्युक्त स्टैण्ड / पार्किंग में वाहन रखने वालों से निम्नवत् दर से राशि वसूल कर सकेंगे :–

वाहन का प्रकार	दर (4 घंटे के लिए)	अभियुक्ति
दो पाहिया वाहन	रू० 20/–	प्रस्तावित दर 4 घंटे के लिए मान्य होगा।
तीन पहिया वाहन	रू० 30/–	
कार / जीप	रू० 50/–	
मिनी बस एवं अन्य छोटे वाहन	रू० 80/–	
भारी वाहन (बस / ट्रैक्टर)	रू० 120/–	

13. वाहन पार्किंग जोन संचालक को स्टैण्ड के निकट दो–दो बड़े साईज के पट्ट पर, दर तालिका लगाना होगा जिसपर इस शर्त की कंडिका–25 में दर्शाया गया दर साफ–साफ अंकित करना होगा।

14. वाहन पार्किंग जोन संचालक, स्टैण्ड के संचालन के लिये निर्धारित दर का टिकट स्वयं छपवायेंगे एव अपना कर्मचारी रखकर स्टैण्ड का संचालन करेंगे। पार्किंग क्षेत्र में रखे गये कर्मचारियो का पूरा पता संचालक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय में देगे तथा उनके प्रत्येक गतिविधि की जिम्मवेरी संचालक की होगी।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बिहार शरीफ वन प्रमण्डल, बिहार

15. संचालक, वनो के क्षत्रे पदाधिकारी, राजगीर वन प्रक्षेत्र द्वारा सत्यापित टिकट का ही उपयोग वाहन पार्किंग जोन में करेंगे। इसके लिए संचालक टिकट छपवा कर वनो के क्षत्रे पदाधिकारी, राजगीर वन प्रक्षेत्र से सत्यापित करायेंगे। बिना सत्यापन के टिकट का उपयोग किए जाने पर संचालक दंड के भागी होंगे, जिसमें निविदा का रद्द किया जाना भी शामिल है। उपयोग किए गए टिकट के अद्यकट्टी को वनों के क्षत्रे पदाधिकारी, राजगीर के कार्यालय में जमा करेंगे।

16. वाहन पार्किंग क्षेत्र में घोड़ा—कटोरा जाने हेतु ई—रिक्सा वाहन पार्किंग को शामिल नहीं किया गया है। इससे संबंधित कोई शुल्क निविदादाता द्वारा नहीं बसूला जायेगा।

17. संचालक द्वारा वन विभाग एवं पर्यटन विभाग के कार्मचारियों के वाहन पार्किंग हेतु किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। उन्हें निःशुल्क वाहन पार्किंग हेतु पास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी तथा इंटीग्रेटेड भवन के अन्तर्गत कैफेटेरिया, फडकोट एवं दुकानों का संचालनक/कर्मी हेतु 50 प्रतिशत छुट के साथ मासिक पास का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।

18. संचालक अपने खर्च पर स्टैंड परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरा की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी।

19. वाहन स्टैण्ड से किसी तरह के वाहन की चोरी होने अथवा खो जाने पर पूरी जिम्मवेारी पार्किंग संचालक की होगी तथा वाहन मालिक को हर्जाना का भुगतान संचालक के द्वारा ही करना होगा।

20. संचालक, वाहन स्टैण्ड का प्रयोग पार्किंग के अलावा किसी भी अन्य कार्य के लिए नहीं करेंगे।

21. वाहन स्टैण्ड का निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली एवं शौचालय गंदा होने की शिकायत मिलने एवं दोषी पाये जाने पर प्रत्येक दोष के लिए संचालक दण्ड के भागी होंगे। प्रत्येक दाेष के लिए दण्ड की राशि न्यूनतम रू० 5000/— (पाँच हजार रूपये) होगी।

22. साप्ताहिक छुट्टी या अपरिहार्य कारणों से इंटीग्रेटेड भवन या घोड़ा—कटोरा बंद होने के स्थिति में संचालक सुनिश्चित करेगें की पार्किंग स्टैण्ड भी बंद रहे। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की वित्तीय नुकसान की भरपाई विभाग के द्वारा नहीं की जायेगी।

23. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तो के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये सफल निविदा को रद्द कर सकते हैं।

24. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेगें कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

25. किसी भी विवाद के निपटारा का न्याय क्षेत्र प्रथम अपीलीय प्राधिकार—वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना होंगे।

26. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र बिहारशरीफ होगा।

27. बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा को अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ सुरक्षित होगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

Divisional Forest Officer
Nalanda Forest Div., Bihar Sharif

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रपत्र–''ख''

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, नालन्दा

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–18/2024–25

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत राजगीर वन प्रक्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा हेतु नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन बन्दोबस्ती हेतु वित्तीय बिड का प्रपत्र।

1 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (ई–मेल, दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ) : ....

....

2 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता (ई–मेल, दूरभाष संख्या के साथ) : ....

....

3 फुडकोट उपयोग हेतु मासिक किराया दर –

क्र० सं०	विवरण	अर्पित किराया दर (प्रतिवर्ष)	अर्पित किराया दर प्रतिवर्ष (शब्दों में)
1	वाहन पार्किंग जोन (2.31 हे०)		

आवश्यक सूचना :

1. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन वाहन पार्किंग जोन के लिए वार्षिक अर्पित दर में जो भी अधिकतम होगा के आधार पर तय किया जाएगा।
2. चयनित निविदादाता के द्वारा एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करना होगा और उसमें दी गयी/उल्लेखित सभी शर्त्तों का पालन करना होगा।
3. एक से अधिक निविदादाता द्वारा अर्पित दर सामान्य/बराबर होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा अर्पित दर को अमान्य मानते हुए उसी समय निलामी के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा अधिकतम राशि देने वाले निविदादाता को वाहन पार्किंग जोन संचालन हेतु हस्तगत करने की कार्रवाई की जायेगी।
4. सफल निविदादाता को निविदा की अन्य शर्त्तों की कंडिका–3 के अनुसार निविदा अवधि (एक वर्ष) की बन्दोबस्ती की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) डी0डी0 के माध्यम से वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ, के पदनाम से जमा करना होगा।

स्थान : ....

दिनांकः ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रपत्र–"क"

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, नालन्दा

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–18/2024–25

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत राजगीर वन प्रक्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा हेतु नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन की बन्दोबस्ती हेतु तकनीकी निविदा/बिड का प्रपत्र।

क्र०	तकनीकी सूचना	निविदात्तां द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदादात्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। बेवसाईट से निविदा प्रपत्र अपलाडे करने की स्थिति में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम से रू० 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट।		
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम में रू० 3,00,000/– (रूपये तीन लाख) के अग्रधन राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।		
3	पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के आयकर रिटर्न (Financial year 2022-23 & 2023-24) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	जी०एस०टी० निबंधन एवं एक वर्ष का रिर्टन (चार तिमाही) का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
6	विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24) का पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित न्यूनतम 50.00 लाख रूपये मात्र की परिसम्पत्ति (Capital asset) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
7	विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24) का न्यूनतम 01 करोड़ रूपये मात्र की टर्न ओवर की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा निर्गत।		
8	पता और पहचान–पत्र से संबंधित स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।		
9	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर (मूल रूप में)।		
10	नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदादाता घाषणा करेगें कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।		

11	नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदादाता घाषेणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खाले ने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।		
12	बिहार सरकार अन्तर्गत किसी सरकारी विभाग में प्रत्येक वर्ष कम से कम 40 लाख रूपये का कार्य का कम से कम तीन वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र ।		

वन प्रमण्डल पदाधिकारी ... वन प्रमण्डल, बिहार

निविदादाता का हस्ताक्षर
पूरा पताः–

ANNEXURE-1

दिनांक 11.11.2024 को राजगीर प्रक्षेत्रान्तर्गत रोप–वे एवं इंटीग्रेटेड भवन के निकट नव–निर्मित वाहन पार्किंग जोन में विभिन्न प्रकार के लगभग 812 वाहनों को पर्यटकों द्वारा वाहन पार्किंग जोन में पार्क किया गया, जिसकी वाहनवार विवरणी निम्नवत् है :

वाहन का प्रकार	प्रस्तावित दर (केवल 4 घंटे उपयोग हेतु)	पर्यटकों द्वारा वाहन पार्किंग जोन में विभिन्न प्रकार के पार्क किये गये वाहनों की विवरणी	
		वाहनों की सं०	प्राप्त आय
दो पाहिया वाहन	₹ 20	158	₹ 3,160
कार / जीप	₹ 50	590	₹ 29,500
मिनी बस एवं अन्य छोटे वाहन	₹ 80	17	₹ 1,360
भारी वाहन (बस / ट्रैक्टर)	₹ 120	47	₹ 5,640
कुल योग		**812**	**₹ 39,660**

नोट : यह आय दिनांक 11.11.2024 का अनुमानित आय है। पार्किंग जोन का आय पूर्णतः पर्यटकों के आवागमन पर निर्भर करता है। पर्यटकों की बढ़ोतरी एवं कमी के लिए विभाग जबावदेह नहीं होगा।